भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

वरिष्ठ कोषाधिकारी

08 JUN 2020

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH FA 413960

<u>दस्तावेज ट्रस्ट (न्यास)</u>

देय स्टाम्प–1,500/–रू0

वेद प्रकाश सिंह पुत्र जगन्नाथ सिंह निवासी ग्राम–तवक्कलपुर उर्फ डण्डापुर, पोस्ट–मरदह, परगना–पचोतर, तहसील–कासिमाबाद, जिला–गाजीपुर उ0प्र0। मो0नं0–9839418199

(मुख्य संस्थापक ट्रस्टी)

ट्रस्ट (न्यास) का नाम–लक्ष्य फाउण्डेशन

ट्रस्ट का पता–ग्राम–तवक्कलपुर उर्फ डण्डापुर, पोस्ट–मरदह, परगना–पचोतर, तहसील–कासिमावाद, जिला–गाजीपुर उ0प्र0।

मुख्यालय–पंजीकृत कार्यालय ग्राम–तवक्कलपुर उर्फ डण्डापुर, पोस्ट–मरदह, परगना–पचोतर, तहसील–कासिमावाद, जिला–गाजीपुर उ0प्र0 आवश्यकतानुसार स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य–ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य भिन्न–भिन्न स्थान पर अंग्रेजी एवं हिन्दी माध्यम की शिक्षण संस्थाएँ प्राथमिक विद्यालय से लेकर उच्च शिक्षा स्तरीय महाविद्यालय, नर्सिग संस्थान, चिकित्सा शिक्षा, मेडिकल कालेजों एवं अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों आदि की स्थापाना करना।

वेद प्रकाश सिंह

क्रमश.........2

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FA 413963

नियोजन, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, महिला कल्याण, भाषा, धर्मार्थ, कार्य, लोक निर्माण, सिंचाई, ग्रामीण अभियंत्रण, ईट उद्योग, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, आयुर्वेद एवं होम्योपैथिक चिकित्सा, परिवहन, परिवार कल्याण, समाज कल्याण,सभी धर्मार्थ सम्बन्धित कार्य पर्यटन, खाद्य एवं रसद, मनोरंजन, बाल विकास एवं पुष्टाहार, श्रम, भूतत्व एवं खनिजकर्म, खेलकूद, युवा कल्याण, खादी एवं ग्रामोद्योग, भूमि विकास, जल संसाधन, परती भूमि विकास, उद्यान, पर्यावरण, लघु उद्योग, हथकरघा, वस्त्र उद्योग, दुग्ध विकास, ग्रामम्य विकास, संस्कृति, मत्स्य, विकलांग कल्याण, पंचायतीराज, आबाकारी, ग्रामीण रोजगार एवं गरीबी उल्मूलन, नागरिक सुरक्षा, न्याय एवं विधायी संस्थायें, राष्ट्रीय एकीकरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सर्तकता, समन्वय, सार्वजनिक उद्यम, सूचना एवं जनसम्पर्क, अल्पसंख्यक कल्याण, कृषि विपणन, निर्यात प्रोत्साहन, पुरातत्व, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, प्राणी उद्यान, एड्स नियंत्रण, गंगा–यमुना आदि स्वेच्छीकरण, आपदा राहत, पेयजल एवं स्वच्छता, सहकारी समितियाँ, साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा, सैनिक कल्याण, संस्थगत वित्त एवं सर्तहित बीमा, स्थानीय निकाय, यूनानी चिकित्सा, प्रशासन एवं प्रबन्धन संस्थायें, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, रिमोट, सेंसिग, ललित कला, चित्रकला, वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान, वित्तीय प्रबन्ध, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, आन्तरिक लेखा परीक्षा, संगीत, नाटक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उपभोक्ता हेतु संरक्षण, भूमि सुधार, भण्डारण, विचार, प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया, कम्प्यूटर तथा अन्य क्षेत्रों के विकास हेतु संस्थायें आदि स्थापित करना व उनका विकास करना और प्रबन्ध करना। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 13(1) तथा धारा 11(5) एवं सम्बन्धित नियमों के अनुरूप न्यास का धन विभिन्न योजनाओं में लगाना।

वेदप्रकाश सिंह

क्रमश.....5

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FA 413962

करना तथा संचालन करना। देश–विदेश से चंदा आदि प्राप्त करना एवं ट्रस्ट के माध्यम से खर्च करना, ट्रस्ट के माध्यम से भविष्य में अन्य जो भी संस्थाये खोली जायेंगी उनका नाम एवं नाम परिवर्तन ट्रस्ट की कार्यकारिणी द्वारा तय किया जायेगा। गैर सरकारी संगठन (एन0जी0ओ0) के राजकीय, राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय समस्त कार्यो का सम्पादन करना। किसी समिति द्वारा उसके आग्रह पर उसके द्वारा संचालित विभिन्न संस्थाओं यथा–आश्रम, अनाथालय, बृद्धा आश्रम, चिकित्सालय, कुष्ठ आश्रम, विद्यालय, महाविद्यालय, व्यवसायिक, तकनीकी, प्राविधिक, चिकित्सीय, संस्थानों आदि को ट्रस्ट (न्यास) में विलीन (समाहित) करना एवं इनको ट्रस्ट के नियमानुसार संचालित करना। रासलीला, रामलीला, मेला, यज्ञ, आध्यात्मिक एवं धार्मिक अनुष्ठानों का प्रयोजन करना। आश्रम, मन्दिर व मठों की स्थापना व उनका संचालन करना। इसके स्थापना एवं प्रयोजन हेतु चन्दा एवं सहयोग प्राप्त करना। जनसंख्या नियंत्रण, एड्स जागरूकता एवं अन्य स्वास्थ्य समस्याओं तथा सामाजिक कुरितियों, बुराईयों, अंधविश्वासों के निवारण में राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय सेवाओं का समय साधन से सहयोग करना एवं उनका क्रियान्वचन करना। अन्य सार्वजनिक पूर्त (पब्लिक चैरिटेबुल ट्रस्ट) व अन्य ऐसे संस्थाओं की स्थापना व सहायता करना। कृषि, बागवानी, पशुपालन, गृह–उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, नारी उत्थान, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग का उत्थान, भ्रष्टाचार निरोध, कानून एवं व्यवस्था का विकास, स्वैच्छीकरण का विकास, औद्योगिक संस्थान/केन्द्र, नागरिक उड्डयन, सहकारिता, ऊर्जा, शिक्षा (प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, कम्प्यूटर शिक्षा, कृषि शिक्षा इत्यादि) संस्कृत शिक्षा, वन, आवास एवं शहरी

वेदप्रकाश सिंह

क्रमश.....4

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH.

FA 413961

ग्रामीण अंचल में मध्यम व कमजोर वर्ग के साथ साथ दलितों को उनके इच्छानुसार शिक्षा मुहैया कराना। प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक, शिक्षा, नौपचारिक शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा व इंजीनियरिंग कालेजों व विभिन्न खेलो की व्यवस्था, क्रीडा, क्लब, प्रबन्धन, प्रशिक्षण संस्थान, क्रीडा संस्थानों की स्थापना व व्यवस्था करना तथा संचालन करना, शिक्षा का देश के कोने–कोने में प्रकाश फैले इसके लिए हर सम्भव कार्य करना, संस्थानों की स्थापना करना, कम शुल्क में पात्र बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के लिए ट्रस्ट द्वारा हर सम्भव प्रयास करना। ट्रस्ट भूमि भवन व पूंजी की व्यवस्था कर देश के किसी भी स्थान पर शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना करके शिक्षा के माध्यम से निर्धन, मध्यम व समाज के दबे कूचले लोगो को आत्मनिर्भर कर उनके जीवन स्तर को उचा उठाया जायेगा, लघु एवं एवं कुटीर उद्योगो की स्थापना करना एवं उसका संचालन करना, खादी ग्रामोद्योग द्वारा चलायी गयी संस्थाओं हेतु अनुदान प्राप्त करना एवं संचालित करना विकलांग विद्यालय अनाथालय छात्रावास नारी उत्थान, बालोत्थान, कुष्ठरोगी, अस्पताल, प्रेस की स्थापना एवं संचालन करना, सामाजिक पत्रिका, अखबार, लाईब्रेरी, कला केन्द्र, उद्यान, साहित्य आदि संस्थाओं को खोलना एंव संचालन करना, नर्सिग होम की स्थापना करना। ट्रस्ट दैवीय आपदा मे जिला, राज्य व केन्द्रीय प्रशासन का समय साधन से समय–समय पर आवश्यकतानुसार सहायता करेगा। ट्रस्ट से संचालित संस्था को लीज (पट्टा) पर देना। बी0टी0सी0, बी0एड0, बी0पी0एड0, टेक्निकल कालेज, सी0बी0एस0ई0, आई0सी0एस0ई0 के स्कूलों की स्थापना करना। उ0प्र0 सरकार एवं भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली समस्त शैक्षणिक आवासीय एवं सामाजिक संस्थाओं की स्थापना

वेदप्रकाश सिंह

क्रमश.....3

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FA 413964

ट्रस्ट का कार्यकाल—ट्रस्ट का कार्यकाल आजीवन रहेगा एवं इस ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टी एवं महासचिव संस्थापक ट्रस्टी का कार्यकाल जीवन पर्यन्त होगा, वह जब तक जीवित रहेगा अपने पद पर बना रहेगा। ट्रस्टी के अन्त के बाद संस्थापक ट्रस्टी की पत्नी/पुत्र/पुत्रबधु/पुत्री क्रमशः जो भी हो संस्थापक ट्रस्टी/मुख्य ट्रस्टी के पद को धारण करेगें, इनके न रहने पर संस्थापक ट्रस्टी की वंशावली में से कोई इस पद को धारण करेगा। इसके लिए ट्रस्ट (न्यास) समिति के सदस्यों का जो भी निर्णय होगा, मान्य होगा। कई पुत्र या पुत्री होने की दशा में मुख्य ट्रस्टी पद के लिए ट्रस्ट (न्यास) समिति के सदस्यों का जो भी निर्णय होगा वह मान्य होगा।

ट्रस्ट की विधिक प्रतिबद्धता— लक्ष्य फाउण्डेशन अधिनियम 21, 1960 के अन्तर्गत भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के अन्तर्गत निष्पादित किया जा रहा है। इस न्यास पर भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के समस्त धारायें/नियम/उपनियम लागू होंगे जो इस न्यास के संचालन हेतु आवश्यक है जो न्यायिक विधा में व्यवहृत व मान्य हैं। यह न्यास उक्त नियमों/उप नियमों के अनुपालन में प्रतिबद्ध हैं। महासचिव संस्थापक ट्रस्टी के निधन अथवा असमर्थता की स्थिति में इस पद पर इनकी पुत्र वधू प्रियंका सिंह पत्नी वेदप्रकाश सिंह स्वतः आसीन होंगी तथा उसी दिन से अपने अधिकार एवं कर्तव्यों का पालन सुनिश्चित करेंगी।

वेदप्रकाश सिंह

क्रमश.....6

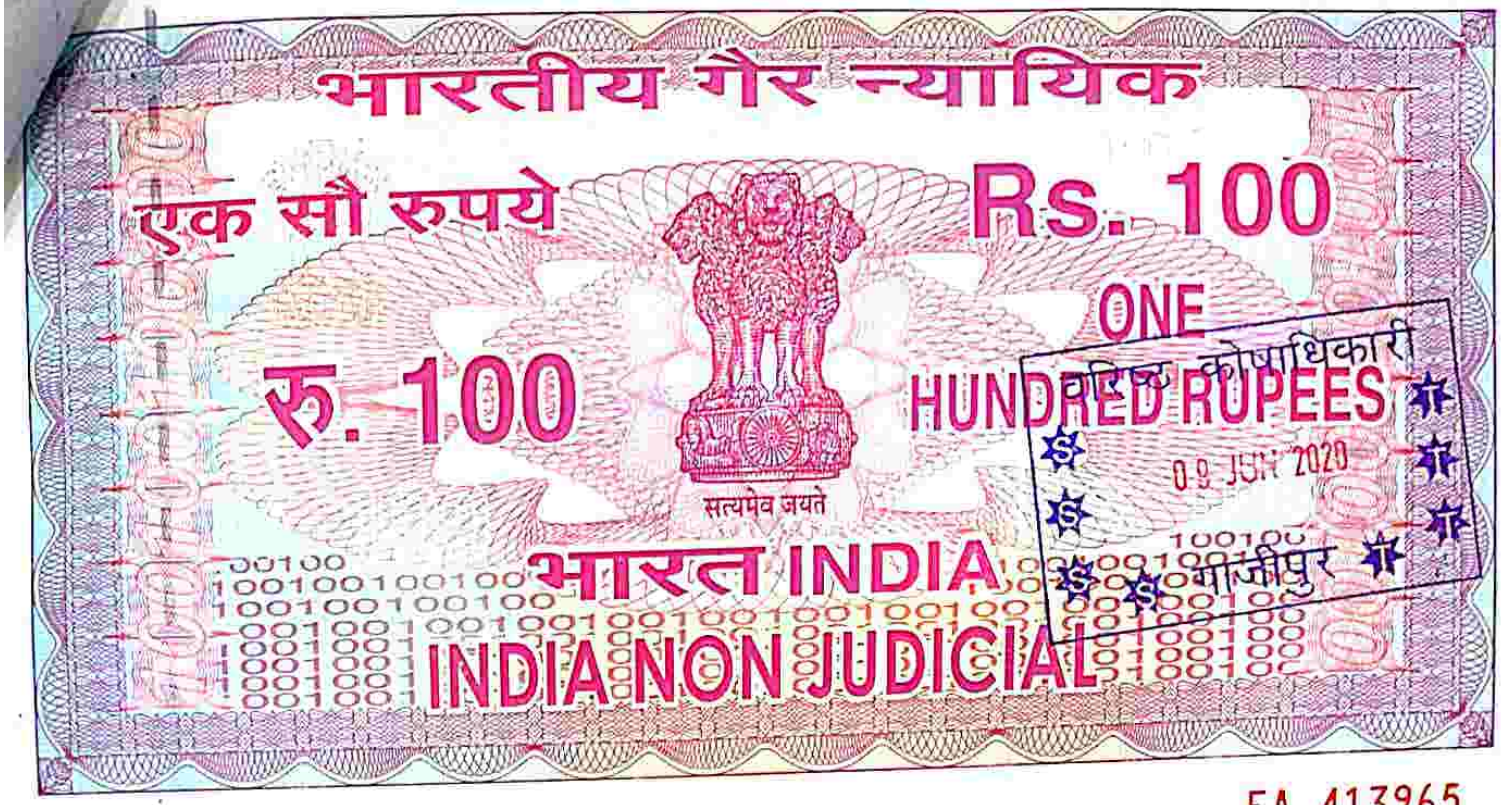

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FA 413965

ट्रस्ट का स्वरूप

1. वेद प्रकाश सिंह पुत्र जगन्नाथ सिंह निवासी ग्राम–तवक्कलपुर उर्फ डण्डापुर, पोस्ट–मरदह, परगना–पचोतर, तहसील–कासिमाबाद, जिला–गाजीपुर उ0प्र0।

मुख्य संस्थापक ट्रस्टी/अध्यक्ष

2–पुष्पा सिंह पत्नी जगन्नाथ सिंह निवासी ग्राम–तवक्कलपुर उर्फ डण्डापुर, पोस्ट–मरदह, परगना–पचोतर, तहसील–कासिमाबाद, जिला–गाजीपुर उ0प्र0।

महासचिव संस्थापक ट्रस्टी

वेदप्रकाशसिंह

क्रमश.....7

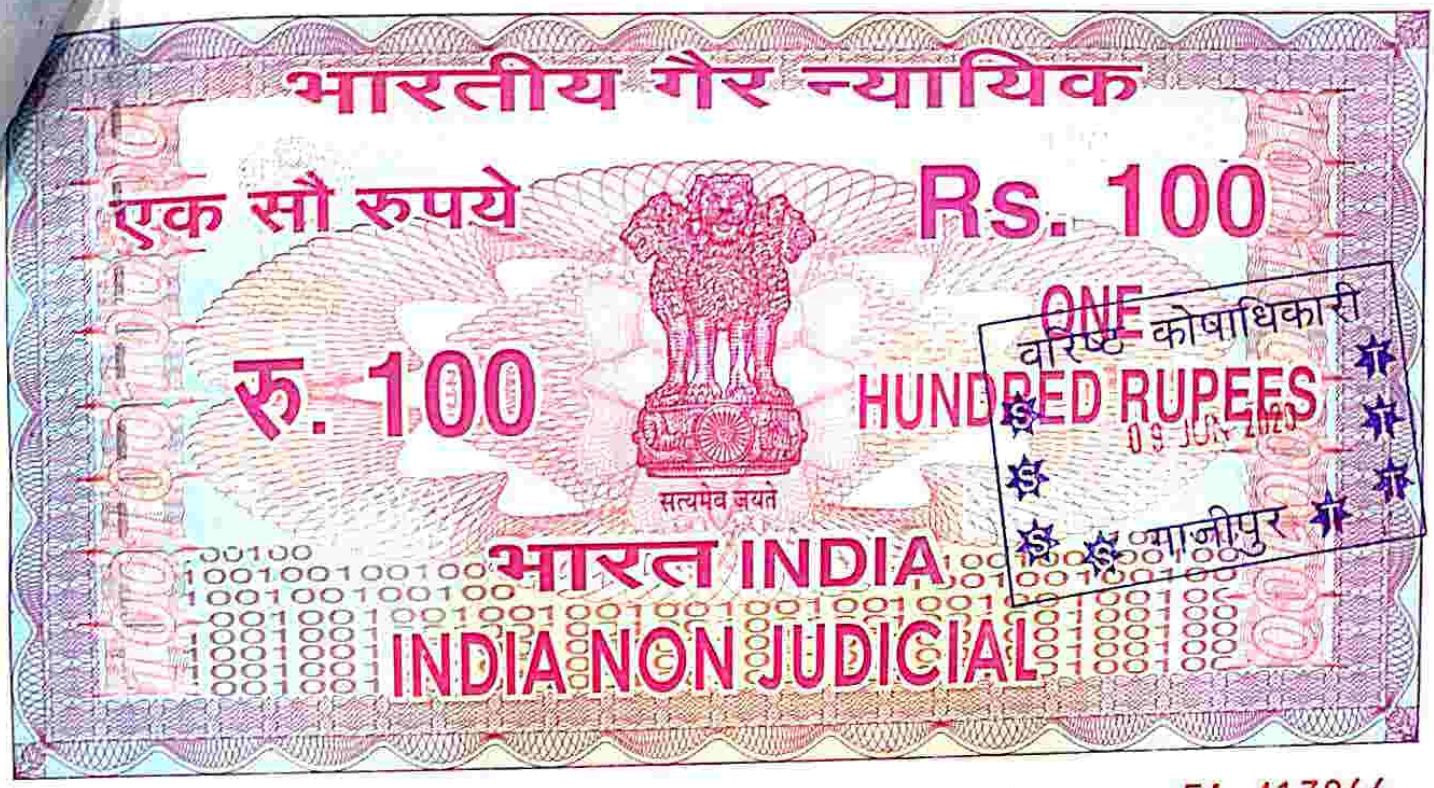

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FA 413966

ट्रस्ट की सदस्यता– ट्रस्ट में संस्थापक ट्रस्टी को मिलाकर कुल सदस्यों की संख्या 7 होगी एवं ट्रस्ट में किसी सदस्य का स्थान रिक्त होने पर संस्थापक ट्रस्टी की सहमति से मु0–11,000/– रू0 (ग्यारह हजार रूपये) सदस्यता शुल्क जमा कराकर नया स्थायी सदस्य बनाया जा सकता है। यह संस्थापक ट्रस्टी के वंशावली पर लागू नहीं होगा तथा इस ट्रस्ट द्वारा संचालित अन्य संस्थाओं के लिए ट्रस्ट अलग से प्रबन्धकारिणी समिति बना सकती है। जिसमें ट्रस्ट के सदस्य सम्मिलित होंगे एवं इसके अतिरिक्त ट्रस्ट के प्रति हितैषी भाव रखने वाले तथा आवश्यकतानुसार आर्थिक मद्द करने वाले व्यक्ति से रू0 11,000/– रू0 (ग्यारह हजार रूपये) सदस्यता शुल्क जमा कराकर नये सदस्य बनाये जा सकते हैं जिसका कार्यकाल पॉच वर्ष का होगा एवं प्रबन्ध समिति में प्रबन्धक महासचिव संस्थापक ट्रस्टी ही होगा तथा ट्रस्ट द्वारा संचालित अन्य सभी संस्थाओं के प्रबन्धक भी महासचिव संस्थापक ट्रस्टी ही होगा। यह ट्रस्ट लाभ के उद्देश्य से कोई कार्य नहीं करेगा इसके द्वारा किया गया कार्य NOT FOR PROFIT के उद्देश्य से किया जायेगा।

ट्रस्ट के अधिकार एवं कर्तव्य–

मुख्य ट्रस्टी/संस्थापक ट्रस्टी–

1– संस्थापक ट्रस्टी (न्यास) के सभी शाखाओं एवं उपशाखाओं तथा जुड़ी हुई संस्था के सदस्यों को आवश्यक निर्देश देगा।

2– मुख्य ट्रस्टी द्वारा ट्रस्ट (न्यास) के कार्यहित में लिये गये निर्णय सर्वमान्य होंगे।

3– संस्था के साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी समिति के सभी बैठको की अध्यक्षता करना।

4– किसी भी विचारणीय विषय पर समानतम होने पर एक निर्णायक मत देना।

5– आवश्यक कागजात पर हस्ताक्षर करना एवं कार्यान्वित करना।

6– ट्रस्ट (न्यास) के विकास से सम्बन्धित कार्यक्रमों का परामर्श देना एवं कार्यक्रमों का निर्धारण करना।

7– ट्रस्ट (न्यास) वाह्य एवं आन्तरिक नीतियों का निर्धारण करना एवं ट्रस्ट (न्यास) के विकास के विभिन्न संसाधन इकट्ठा करना व ट्रस्ट (न्यास) के पदाधिकारियों व सदस्यों को तत्सम्बन्धित कार्यवाही से अवगत कराना।

वेदप्रकाश सिंह

क्रमश.....8

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FA 413967

8– मुख्य संस्थापक ट्रस्टी ट्रस्ट की समस्त चल व अचल सम्पत्ति का क्रय विक्रय, ट्रस्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपने हस्ताक्षर से कर सकता है तथा ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं की चल अचल सम्पत्ति का क्रय–विक्रय, लीज पट्टा करने का अधिकार मुख्य संस्थापक ट्रस्टी को होगा जो ट्रस्ट अथवा उसके द्वारा संचालित संस्थाओं के विकास के लिए किया जायेगा।

9– मुख्य ट्रस्टी ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए देश–विदेश से अनुदान/दान प्राप्त कर सकता है एवं उसे खर्च कर सकता है। ट्रस्ट के लिए सहयोग, चन्दा, आमजनता किसी भी व्यक्ति, फर्म, एसोसिएशन, किसी अन्य न्यास या कार्पोरेट बॉडी इत्यादि से धनराशि बिना शर्त या सशर्त स्वीकार करना एवं विवेकानुसार उसे व्यय करना।

10– संस्था के कर्मचारियों की नियुक्ति, अनुशासनात्मक कार्यवाही, पदोन्नति, निलम्बन व बर्खास्तगी करने का अधिकार संस्थापक ट्रस्टी के पास सुरक्षित है।

11– संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी किसी भी समय किसी सदस्य को कारण बताकर 2/3 बहुमत से निकाल सकता है यह प्राविधान संस्थापक ट्रस्टी एवं उसके उत्तराधिकारी पर लागू नहीं होगा।

12– किसी भी सामान्य उद्देश्य से किसी अन्य ट्रस्ट (न्यास) संस्था/समिति का संचालन एवं उसका विलय अपने (ट्रस्ट) में कर सकता है।

13– ट्रस्ट के लिए नवीन सदस्य बनाने हेतु अपनी सहमति, असहमति लिखित रूप से प्रदान करना तथा ट्रस्ट के नियमों, परिनियमों के विपरीत कार्य करने वाले ट्रस्टी को ट्रस्ट से बर्खास्त करना।

14– ट्रस्ट (न्यास) द्वारा संचालित संस्थाओं, कार्यक्रमों, क्रियाकलापों में निर्धारित शर्तो व वेतन पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को न्यास के कार्य हेतु नियुक्त करना, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करना, पदोन्नति एवं पदच्युत करना। न्यास के ऐसे कार्यो को किसी भी न्यायालय या ट्रिब्यूनल आदि में विवादित न ही किया जा सके न ही चुनौती दी जा सकेगी।

15– राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित पाठयक्रम चलायाजाना तथा उससे सम्बन्धित आवश्यकत कार्यवाही करना।

क्रमश.....9

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FA 413968

16– ट्रस्ट द्वारा संचालित विभिन्न संस्थाओं, कार्यक्रमों, क्रियाकलापों आदि के समस्त धनराशियों एवं खातों को संचालन करना। ट्रस्ट के धन को ट्रस्ट के विभिन्न संस्थाओं के विकास एवं चैरिटेबुल कार्यों में व्यय करना।

महासचिव संस्थापक ट्रस्टी–

1– मुख्य संरक्षक ट्रस्टी की अनुपस्थिति में उसके कार्य का सम्पदान महासचिव संस्थापक ट्रस्टी अपने हस्ताक्षर से करेगा तथा मुख्य ट्रस्टी को अवगत करायेगा।

2– बैठक बुलाना एवं सूचना देना।

3– ट्रस्ट (न्यास) के उन्नति के लिए दिशा–निर्देश देना।

4– नये सदस्यो के लिए स्वहस्ताक्षरित रसीद संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी की अनुमति से जारी करना।

5– ट्रस्ट (न्यास) में नये सदस्य बनाने संस्था में कर्मचारियों की नियुक्ति, अनुशासनात्मक कार्यवाही, पदोन्नति, निलम्बन एवं निष्कासन आदि की संस्तुति महासचिव संस्थापक ट्रस्टी मुख्य ट्रस्टी को देगा परन्तु इस पर विचार कर कार्यवाही मुख्य ट्रस्टी द्वारा की जा सकती है लेकिन कार्यवाही का अधिकार मुख्य ट्रस्टी के पास सुरक्षित है।

6– ट्रस्ट (न्यास) के उन्नति हेतु विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित कर योजनाएँ प्रस्तुत करना तथा ट्रस्ट (न्यास) के हित में समस्त कार्यो का सम्पादन करना।

7– ट्रस्ट (न्यास) में नये सदस्यों को सदस्य बनाने की कार्यवाही मुख्य संस्थापक ट्रस्टी की सहमति से सुनिश्चित करना तथा सम्पूर्ण सदस्यों को इसकी जानकारी देना।

8– महासचिव संस्थापक ट्रस्टी द्वारा संस्थाओं के विकास के लिए भूमि भवन का क्रय–विक्रय लीज (पट्टा) करना किसी अन्य प्रकार से अन्तरित करना एवं वादों का निस्तारण की पैरवी करना तथा किसी बैंक अथवा संस्था से किसी प्रकार का कोई ऋण प्राप्त करना अथवा ऋण देना।

सदस्य ट्रस्टी–

साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के निर्देश पर बैठकों में भाग लेना एवं ट्रस्ट के सर्वमान्य हित में निर्णय लेना एवं ट्रस्ट की योजनाओं में स्वार्थरहित भाव से सहयोग प्रदान करना।

क्रमश.....10

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH FA 413969

ट्रस्ट (न्यास) के अंग–

ट्रस्ट (न्यास) निम्नलिखित दो वर्ग की होगी।

1– साधारण सभा

2– प्रबन्धकारिणी ट्रस्ट

साधारण सभा (गठन)– साधारण सभा का गठन टस्ट (न्यास) के सभी सदस्यों को मिलाकर किया जायेगा। परन्तु ट्रस्ट अन्य संचालित संस्थाओं के लिए एक प्रबन्ध समिति का गठन कर सकती है। जिसमें ट्रस्ट के सदस्य भी सम्मिलित होंगे। इसके अतिरिक्त मु0–11,000/–रू0 संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी की अनुमति से सदस्यता शुल्क जमा कराकर नये सदस्य बनाये जा सकते है किन्तु ये सदस्य ट्रस्ट द्वारा संचालित अन्य संस्थाओं के लिए होंगे एवं इनकी अधिकतम संख्या 5 होगी तथा इनका कार्यकाल पॉच वर्ष का हेागा।

बैठकें–

1–साधारण बैठकें–ट्रस्ट (न्यास)के साधारण सभी की सामान्य बैठक वर्ष में दो बार होगी। आवश्यक बैठक 24 घंटे पहले निर्धारित सूचना अनुसार कभी भी बुलाई जा सकती है।

2– **विशेष बैठक**– दो तिहाई सदस्यों की लिखित मॉग पर या आवश्यकता पड़ने पर साधारण सभा की आवश्यक बैठक बुलाई जा सकती है।

सूचना अवधि– साधारण स्थिति में प्रबन्धकारिणी ट्रस्ट समिति का महासचिव, संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी की सहमति से एक सप्ताह पूर्व बैठक की सूचना डाक अथवा दस्ती द्वारा देकर बैठक बुला सकता है। विशेष परिस्थिति में 24 घण्टे की सूचना पर साधारण सभा ट्रस्टियों की बैठक बुलाई जा सकती है।

गणपूर्ति– बैठक में सदस्यों की गणपूर्ति का कोरम उपस्थिति होना आवश्यक है यह गणपूर्ति कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 होगी।

विशेष वार्षिक अधिवेशन–साधारण सभा का विशेष वार्षिक अधिवेशन वर्ष में एक बार जून माह में होगा।

वेदप्रकाश सिंह

क्रमश.....11

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

वरिष्ठ कोषाधिकारी 09 JUN 2020 गाजीपुर

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH FA 413970

ट्रस्ट के साधारण सभा के कर्तव्य– साधारण सभा ट्रस्टियों के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे।

(अ) वार्षिक आय–व्यय बजट चेक कराना।

(ब) ट्रस्ट (न्यास) के विकास हेतु अगले वर्ष के लिए योजना एवं बजट निश्चित करना।

(स) प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का चयन करना।

(द) ट्रस्ट (न्यास) के विकास के लिए समय–समय पर उनके कार्यो को कराना जो समिति के हित में हो।

ट्रस्ट (न्यास प्रबन्धकारिणी समिति–

गठन– साधारण सभा के सदस्यों द्वारा प्रबन्धकारिणी समिति का गठन किया जायेगा जिसमें निम्न पद होंगे। प्रबन्धक, मंत्री, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष एवं दो सदस्य। कमेटी में ट्रस्ट के सदस्य पद प्राप्त कर सकते हैं लेकिन प्रबन्धक पद महासचिव संस्थापक ट्रस्टी तथा अध्यक्ष पद मुख्य संस्थापक ट्रस्टी का होगा। ट्रस्ट द्वारा संचालित किसी संस्था के प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल समाप्त हो जाता है एवं अगले चुनाव में किसी प्रकार का विलम्ब होता है तो अगले चुनाव तक वही प्रबन्ध समिति कार्य करती हरेगी। प्रबन्ध समिति कालातीत नहीं होगी तथा यदि प्रबन्ध समिति में किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो उस प्रबन्ध समिति का सभी अधिकार ट्रस्ट में निहित हो जायेगा और उस संस्था के प्रबन्ध समिति का सभी कार्य ट्रस्ट द्वारा संचालित किया जायेगा।

बैठकें–

सामान्य–सामान्य स्थिति में ट्रस्ट(न्यास)का महासचिव/संस्थापक ट्रस्टी प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी के मुख्य संस्थापक ट्रस्टी की अनुमति से बैठक बुलायेगा।

विशेष–विशेष बैठक प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी का 2/3 सदस्यों की माँग पर प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति का महासचिव बुलायेगा।

सूचना अवधि– साधारण स्थिति में प्रबन्धक ट्रस्टी समिति, महासचिव संस्थापक ट्रस्टी एक

वेदप्रकाश सिंह

क्रमश.........12

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH FA 413971

सप्ताह की सूचना पर प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति की बैठक बुला सकता है विशेष बैठक के लिए प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति का महासचिव संस्थापक ट्रस्टी मुख्य संस्थापक ट्रस्टी की अनुमति से 24 घण्टे की सूचना पर बैठक बुला सकता है। सूचना दस्ती अथवा डाक अण्डर पोस्टिंग अथवा समाचार पत्र द्वारा दी जा सकती है।

गणपूर्ति– प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के समस्त बैठकों की गणपूर्ति समिति के सभी सदस्यों के 2/3 उपस्थिति में पूर्ण मानी जायेगी।

रिक्त स्थानों की पूर्ति– यदि किसी सदस्य के असामयिक निधन या त्याग पत्र या दिवालियापन या पागल हो जाने पर या ट्रस्ट (न्यास) से निष्कासित होने पर उसके स्थान पर प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी सदस्यों के 2/3 के बहुमत से भरा जायेगा जिसमें संस्थापक ट्रस्टी की अनुमति आवश्यक है यह प्रक्रिया संस्थापक ट्रस्टी को भरने के लिए लागू नही होगी। नये सदस्य की स्थायी नियुक्ति संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी की अनुमति से 2/3 बहुमत के अतिरिक्त मु0–11,000/– रू0 (ग्यारह हजार नगद या उतने की सम्पत्ति देने पर होगी। शुल्क रसीद मुख्य ट्रस्टी अथवा महासचिव ट्रस्टी के हस्ताक्षर से निर्गत होनी आवश्यक है।

प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के कर्तव्य– प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे।

1– बैठक बुलाना अथवा बैठक विसर्जित करना।

2– ट्रस्ट (न्यास) का प्रबन्धन करना अथवा ट्रस्ट (न्यास) द्वारा संचालित समस्त संस्थाओं का प्रबन्धन करना।

3– ट्रस्ट (न्यास) द्वारा संचालित संस्थाओं में कर्मचारियों की नियुक्ति, निलम्बन, निष्कासन, पदोन्नति, विनियमितिकरण का अनुमोदन करना।

4– आय–व्यय का ब्योरा रखना तथा उसे वार्षिक अधिवेशन के समय साधारण ट्रस्टी सभा के सामने प्रस्तुत करना।

वेदप्रकाश सिंह

क्रमश.....13

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FA 413972

21. ट्रस्ट (न्यास) के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया–

समय–समय पर परिस्थितियों के अनुसार प्रबन्धकारिणी ट्रस्ट (न्यास) के नियमावली में संशोधन एवं परिवर्धन कर सकती है। नियमावली की कटिंग अशुद्धि, संशोधन छूटे हुए शब्द अथवा वाक्य को बनाने का अधिकार प्रबन्धकारिणी ट्रस्ट (न्यास) को होगा।

22. ट्रस्ट (न्यास) के कोष–

ट्रस्ट (न्यास) के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कोष की स्थापना की जायेगी जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/डाकघर में रखा जायेगा। जिसका संचालन महासचिव संस्थापक ट्रस्टी/महासचिव ट्रस्टी के हस्ताक्षर से किया जायेगा। परन्तु ट्रस्ट द्वारा संचालित अन्य संस्थाओं के खातों का संचालन ट्रस्ट द्वारा गठित प्रबन्धकारिणी समिति के प्रबन्धक द्वारा किया जायेगा।

23. ट्रस्ट (न्यास) के आय–व्यय का लेखा परीक्षण–

प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक बार किसी भी योग्य आडिटर से संस्था का आय–व्यय का लेखा परीक्षण कराया जायेगा।

24. ट्रस्ट (न्यास) द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व–

ट्रस्ट (न्यास) द्वारा अथवा उसके विरूद्ध समस्त अदालती कार्यवाही के संचालन का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति पर होगा जो किसी पदाधिकारी अथवा सदस्य को इस कार्य के निमित नियुक्त कर सकती है।

25. ट्रस्ट (न्यास) के विलेख–

ट्रस्ट (न्यास) के समस्त अभिलेख जैसे–सूचना रजिस्टर, सदस्यता रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर, कैश बुक संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी के पास होंगे।

वेदप्रकाश सिंह

क्रमश.....14

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FA 413973

26— **लक्ष्य फाउण्डेशन** के पास सदस्यता शुल्क के माध्यम से मु0—11,000/— रू0 (ग्यारह हजार रूपये) प्रारम्भिक कार्य हेतु उपलब्ध है।

27— ट्रस्ट (न्यास) के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही—ट्रस्ट (न्यास) के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही इण्डियन ट्रस्ट एक्ट, 1882 के अन्तर्गत की जायेगी।

28— ट्रस्ट (न्यास) संस्था का किसी भी कारण से विघटन होता है तो उस दशा में ट्रस्ट या संस्था की सम्पूर्ण सम्पत्ति पर स्वामित्व संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी का होगा।

29ए— हिन्दी, संस्कृत, उर्दू तथा अन्य प्राच्य भाषाओं से प्राइमरी जूनियर हाईस्कूल, इण्टर कालेज, डिग्री कालेज, शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्थाओं स्नातकोत्तर महाविद्यालय, विधि महाविद्यालय, प्राविधिक तकनीकी, चिकित्सा, व्यवसायिक, औद्योगिक संस्थानों/केन्द्रों आदि की स्थापना करना एवं उसका संचालन करना।

29बी— संस्था को आगे बढ़ाने के लिए 12ए, 80जी, 10/23 व 35 एक्ट के अन्तर्गत मिलने वाली सुविधाओं को प्रदान करना।

29सी— केन्द्र सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा चलायी जाने वाली समस्त परियोजना को जनतां के हित में संचालित करना एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले तमाम पीड़ित लोगों को उन्नयन एवं लाभान्वित करना आदि।

29डी— आयकर अधिनियम 1961 की सुसंगत धाराओं का पालन किया जाता रहेगा।

29ई— सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के अनुपालन में **लक्ष्य फाउण्डेशन ग्राम—तवक्कलपुर उर्फ डण्डापुर, पोस्ट—मरदह, परगना—पचोतर, तहसील—कासिमाबाद, जिला—गाजीपुर उ0प्र0,** द्वारा पूर्व में संचालित संस्थानों का संचालन इसी ट्रस्ट द्वारा किया जायेगा।

वेदप्रकाश सिंह

क्रमश.....15

FA 413974

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

दिनांक :–27–06–2020 ई0

मसविदाकर्ता:–

टंकणकर्ता–राजपाल सिंह कुशवाहा

ह0 गवाहान:–

1–जनार्दन सिंह यादव पुत्र मुसाफिर सिंह यादव निवासी ग्राम–गुम्मा, पोस्ट–गुरना, जिला–गाजीपुर मो0नं0–9838045750

2–विवेकानन्द पाण्डेय पुत्र रमाशंकर पाण्डेय निवासी ग्राम–चकअब्दुल रहमान उर्फ बभनौली, पोस्ट–मानपुर, परगना व तहसील–सदर, जिला–गाजीपुर मो0नं0–9455325131

(वेद प्रकाश सिंह)

(महासचिव संस्थापक ट्रस्टी)
"लक्ष्य फाउण्डेशन"
ग्राम–तवक्कलपुर उर्फ डण्डापुर,
पोस्ट–मरदह, परगना–पचोतर,
तहसील–कासिमाबाद, जिला–गाजीपुर (उ0प्र0)।